Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No.636/2026, Katihar (Sahayak) P.S. Case No.- 378/2026
Ashwini Yadav @ Golu Yadav Vs. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-636/2026

Katihar (Sahayak) P.S. Case No.- 370/2026

1. अश्विनि यादव उर्फ गोलु यादव, उ0त0 25 वर्ष,
2. फंटुस यादव पिता नागो यादव, उ0त0 50 वर्ष,
3. पंकज यादव पिता योगेन्द्र यादव, उ0त0 40 वर्ष,
4. तुफानी गुप्ता पिता शंकर गुप्ता, उ0त0 24 वर्ष,
5. लक्ष्मण यादव पिता योगन्द्र यादव, उ0त0 35 वर्ष,

साकिन– मिरचाईबाड़ी, थाना– कटिहार सहायक,
जिला– कटिहार।.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार। .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री..... सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री .....विजय कुमार झा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 09.07.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 28.04.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार झा द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार झा द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह वाद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है। धारा 109 एवं 303(2) को छोड़कर अन्य आरोपित धाराएं जमानतीय है। सूचिका ने स्वयं अपने आंखों से घटना नहीं देखी है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार हैं तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका रूना देवी द्वारा टंकित आवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध कटिहार (सहायक) थाना कांड संख्या– 378/2026 दिनांक 01.04.2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 109, 303(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इस वाद में उभय पक्षों के बीच राजी–खुशी से सुलह हो गयी है तथा उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर है। पीड़ित पक्ष को जख्म प्रतिवेदन के आलोक में मुंह पर मारे जाने से

सूचिका के दामाद का एक दाँत टूट जाने का आरोप है। जख्म, जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग (Vital organ) पर नहीं है तथा सूचिका एवं पीड़ित दोनों ने अभियुक्त के साथ सुलह कर लिया है।

6. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/— एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचनपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

प्रभारी/अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्,
कटिहार।

Copy: forwarded to the court of Ld. C.J.M. Katihar for reference in Katihar (Sahayak) P.S. Case No- 370/2026.

Date of order	09-07-2026
Date of reserving order	09-07-2026
Uploading Date	09-07-2026
Uploaded by	

लेखापित

प्रभारी/अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्,
कटिहार।

webcopycivilcourtkatihar